

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 2

सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 04.02.2022


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मनफूल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 चारागाह की भूमि खसरा नं. 26 की 0.026 है0 भूमि पर गैहू की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 को धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थी घर पर नहीं मिलने के कारण अप्रार्थी के भाई से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक प्रतित नहीं होता अतः पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 जबरान को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग रू. 100/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक जबरान को अलग से लिखा जावे कि नाजायज काश्त शुद्धा फसल को कुर्क किया जाकर निलाम कर बाद स्वीकृति राशि नियमानुसार खजाना राज में जमा करवाई जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ

